निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 श्रावण 1940 (श0)

(सं0 पटना 717) पटना, वृहस्पतिवार, 26 जुलाई 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

26 जुलाई 2018

अधिसूचना संख्या 17/2018–राज्य कर (दर)

एस० ओ० 215, दिनांक 26 जुलाई 2018—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि वाणिज्य–कर विभाग की अधिसूचना संख्या 11/2017–राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक में संख्या–554, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, के क्षेत्र विस्तार और उसकी प्रयोज्यता को स्पष्ट करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, एत्‌दद्वारा उक्त अधिसूचना में,सारणी में क्रम सं0 3 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (vi) की प्रविष्टि में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अन्तःस्थापित करते हैं, यथा :–

''स्पष्टीकरण– इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए 'कारोबार' की अभिव्यक्ति में ऐसा कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार नहीं आएगा जो कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, जिसमें कि वे लोक प्राधिकारी के रुप में संलग्न हों, द्वारा किया जा रहा हो''

2. यह अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं० बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017 (खंड–2) 17)]

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

डॉ प्रतिमा,

वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव ।

26 जुलाई 2018

एस० ओ० 215, दिनांक 26 जुलाई 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017 (खंड–2) 17)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ प्रतिमा,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव ।

The 26th July 2018

Notification no. 17/2018- State Tax (Rate)

S.O. 215, Dated 26th July 2018— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11, of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary so to do for the purpose of clarifying the scope and applicability of the Commercial Taxes Department notification No.11/2017- State Tax (Rate), dated the 29thJune, 2017, published in Bihar Gazette, Extraordinary, *vide* number 554, dated the 29thJune, 2017 hereby inserts following explanation in the said notification, in the Table, against serial number 3, in column (3), in item (vi), namely:-

"*Explanation.*— For the purposes of this item, the term 'business' shall not include any activity or transaction undertaken by the Central Government, a State Government or any local authority in which they are engaged as public authorities"

2. This Notification shall come into force with effect from 27th July, 2018.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-2) 17)]
By the order of Governor of Bihar,
DR. PRATIMA,
Commissioner-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 717-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in